Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide payment receipts of crop insurance premium paid by farmers in the country.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): देश में अनेक किसान अपनी फसल बीमा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त बैंकों / कंपनियों / नियोक्ताओं के पास जाते हैं और अपनी फसल का बीमा करते हैं लेकिन किसानों को उनकी फसल बीमा की रसीद नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या कारण हैं? इसकी समीक्षा करने की जरूरत है साथ ही जब किसानों की फसल का पूरा बीमा हो जाता है तो भी उन्हें पूरी रसीद नहीं मिल रही है जिसके कारण किसानों को यह भुगतान लेने में काफी कठिनाई हो रही है। इसके लिए बैंकों / कंपनियों /नियोक्ताओं की सरकार द्वारा जांच करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की जरूरत है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को उनकी फसल बीमा करने की रसीद तुरन्त ही दी जाये और जब उनकी फसल का पूरा बीमा हो जाता है फिर उनको पूरी रसीद दी जाये इस तरह के दिशा निर्देश बैंकों /कंपनियों / नियोक्ताओं को दिए जाए ताकि किसानों को बीमा भुगतान लेने में कठिनाई न हो।